न्यायालय / न्यायालय के उपयोग
शुल्क प्रतिलिपि

न्यायालय सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय)
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 21/2011

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. नारायणसिंह पुत्र मुंशीराम, जाति–यादव, निवासी–ग्राम छापरी हाल आबाद डालनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. कृष्ण कुमार पुत्र मुंशीराम, जाति–यादव, निवासी–ग्राम छापरी हाल आबाद डालनिया, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

अप्राथीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थितिः–

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थी असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

<u>निर्णय</u> दिनांक : 31.10.2017

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्बत् 2011–2030 में ग्राम नारेडा की आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 47 बीधा 4 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 47 बीधा 4 बिस्वा में से 2 बिस्वा आराजी कुँआ नारायणसिंह, कृष्ण कुमार पुत्र श्री मंशीलाल, जाति–अहीर, निवासी– छापरी के हक में दिनांक 23.6.1992 को नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–758 नारायणसिंह, कृष्ण कुमार के नाम गैर–खातेदारी 10 साल की दर्ज की गई हैं जो अब अप्रार्थीगण के नाम नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में आराजी ख0नं0 125/1 रकबा 2 बिस्वा दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकीन नदी आराजी

सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

केवल राजकीय/न्यायालय के हेतु निशुल्क प्रतिलिपि

की निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर–मुमकीन नदी दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 में ग्राम नारेडा की आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, जिसमें से 2 बिस्वा नारायणसिंह, कृष्ण कुमार जाति–अहीर के हक में कुँआ नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–758 नारायणसिंह, कृष्ण कुमार के नाम गैर–खातेदारी दर्ज हैं, आवंटी नारायणसिंह, कृष्ण कुमार के पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में आराजी खं0नं0 125/1 रकबा 2 बिस्वा दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी नारेडा नारायणसिंह, कृष्ण कुमार को कुँआ नियमन/आवंटन किया गया हैं। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0–758 के कॉलम सं0–14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमित/आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011–2030 में यह आराजी गैर–मुमकिन नदी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। नियमन/आवंटन दिनांक को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4

सत्य-प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

केवल राजकीय/न्यायालय के हेतु निशुल्क प्रतिलिपि

में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकिन नदी की आराजी को कुँआ नियमन/आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रांरभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे। अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे अतः अनुपस्थिति की दशा में इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमनें विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011–2030 ग्राम नारेडा की आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 47 बीधा 4 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर–मुमकिन नदी दर्ज है, इसके पश्चात् आराजी ख0नं0 125 रकबा 2 बिस्वा नारायणसिंह, कृष्ण कुमार जाति–अहीर के हक में कुँआ नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या–758 नारायणसिंह, कृष्ण कुमार के नाम गैर–खातेदारी तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम आराजी ख0नं0 125/1 नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 अनुसार दर्ज हैं। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2011–2030 में दर्ज गैर–मुमकिन नदी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है, राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुँऐ खोदने और पम्प लगाने के लिए भूमि का आवन्टन) नियम, 1979 के नियम 4 के अन्तर्गत गैर–मुमकिन नदी आराजी का आवन्टन वर्जित हैं तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त

सत्य-प्रतिलिपि
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

केवल राजकीय/न्यायालय के उपयोग हेतु निशुल्क सत्य प्रतिलिपि

उक्त विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को कुँआ नियमन/आवंटन तिथि को राजस्व अभिलेख में गैर–मुमकिन नदी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011–2030 से होती है और इस आराजी का कुँआ नियमन/आवंटन नारायणसिंह, कृष्ण कुमार, जाति–अहीर को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0–758 ग्राम–नारेडा से होती है। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070 में निजी गैर–खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नदी की भूमि की निजी गैर–खातेदारी किसी को नही दी जा सकती और न ही राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुँऐ खोदने और पम्प लगाने के लिए भूमि का आवन्टन) नियम, 1979 के नियम 4 के अन्तर्गत आवन्टन/नियमन किया जा सकता हैं किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर–मुमकीन नदी भूमि का नियमन/आवंटन कर गैर–खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वत: ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर–मुमकिन नदी भूमि का आवंटन/कुँआ नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत गैर–खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को गैर–खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी

सत्य - प्रतिलिपि
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

केवल राजकीय/न्यायालय के उपयोग हेतु निःशुल्क सत्य प्रतिलिपि

खसरा आराजी ख0नं0 125/1 रकबा 2 बिस्वा अप्रार्थीगण के नाम को निरस्त करने एवं इस कुँआ नियमन/आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी गैर–खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिना लगानी सिवायचक गैर–मुमकीन नदी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 23.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 31.10.2017 को सुनाया गया।

31/10/17

(सुनील भाटी)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर